भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4828
20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जिला अस्पतालों का उन्नयन

†4828. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय अस्पताल, बौध का सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने के लिए ओडिशा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड, बिस्तरों की न्यूनतम संख्या, वित्तपोषण पद्धति और अनुमोदन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिमी ओडिशा में, विशेषकर बौध जिले में स्वास्थ्य देखभाल में कमी, चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात और क्षेत्रीय असंतुलन का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार लाने और एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि करने के लिए बौध में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनु ्प्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 'मौजूदा जिला/संदर्भ अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना' के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहाँ कोई मौजूदा सरकारी या निजी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, को वरीयता दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण की व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, ओडिशा में सात (07) मेडिकल कॉलेजों, चरण-I में बालसोर, बारिपदा (मयूरभंज), बोलांगीर, कोरापुट, पुरी, चरण-II में जाजपुर और चरण-III में कालाहांडी सहित सभी प्रस्तावित 157 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दी जा चुकी है। ओडिशा में प्रस्तावित सभी सात (07) मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं। हालांकि, ओडिशा राज्य से बाउध में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कोई

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में, 1.50 करोड़ रुपये प्रति सीट अधिकतम लागत बढ़ाकर 5000 स्नातकोत्तर सीटों और 5023 एमबीबीएस सीटों का सृजन करने हेतु मौजूदा राज्य/केंद्रीय सरकारी मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों और सरकारी अस्पतालों के सुदृढीकरण और उन्नयन के लिए सीएसएस के तीसरे चरण और विस्तार को मंजूरी दी है।

चूंकि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य विषय हैं, मानव संसाधनों के विस्तार सहित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। तथापि, देश में स्वास्थ्य व्यावसायिकों की उपलब्धता में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कई पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रामीण आबादी को उचित स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रदान करने के लिए पारिवारिक दत्तक कार्यक्रम (एफएपी) को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एफएपी में मेडिकल कॉलेजों द्वारा गांवों को दत्तक लेना और एमबीबीएस छात्रों द्वारा इन गांवों के भीतर परिवारों को दत्तक लेना शामिल है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पतालों में सेकंड/थर्ड ईयर पीजी छात्रों की तैनाती की जाती है।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए भत्ता प्रदान किया जाता है।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सीज़ेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्रीरोग विशेषज्ञों/ आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बालरोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/ जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर गर्भावस्था-पूर्व जाँच (एएनसी) और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
- राज्यों को, विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए परस्पर सहमति से तय वेतन देने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनआरएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।
